

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 416]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2018—श्रावण 5, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-ए-3-23-2018-1-पांच(69).—

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2018

मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017)2017 का 9 (की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, हस्तशिल्प की वस्तुओं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आती हैं, के अंतःराज्यीय आपूर्ति को उस हद तक छूट देती है जिस हद तक इस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत लगाए जाने वाला राज्य कर उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट दर से अधिक होता है ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति "हस्तशिल्प की वस्तुएं" से अभिप्राय - ऐसी वस्तुओं से है जो कि मुख्य रूप से हाथ से बनाई गई हों चाहे इनके बनाए जाने की प्रक्रिया में इसमें कुछ औजार या मशीनों का उपयोग क्यों न करना पड़ा हो; ऐसी वस्तुएं देखने में आकर्षक होती हैं और इसमें इसी तरह के कुछ काम हुए रहते हैं; इनकी अपनी विशेषता होती है जो कि सौंदर्यपरक,

कलात्मक, संजातीय या सांस्कृतिक विशेषता लिए हुए होती है और यह इसी प्रकार के मशीनों से उत्पादित वस्तुओं से काफी भिन्न होती है ।

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	हस्तनिर्मित मोमबत्तियां	6 %
2.	4202 22,4202 29,4202 3110, 4202 3190, 4202 32, 4202 39	हैंड बैग्स, जिनमें पाउच और पर्स भी आते हैं, ज्वेलरी बाक्स	6 %
3.	4416, 4421 99 90	लकड़ी के नक्काशी युक्त उत्पाद, आर्ट वेयर/कलात्मक वस्तुएं, जो कि लकड़ी की हों (इनमें जड़ाऊ कार्य, कैस्क, बैरल, वेट्स भी आते हैं)	6 %
4.	4414 00 00	पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण आदि के लकड़ी के फ्रेम्स	6 %
5.	4420	लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ीकारी, ज्वेलरी बाक्स, लकड़ी के खरादी और लॉक के कार्य (जिसमें मीनाकारी और जड़ीकारी, अंबादी सिसल शिल्प भी आते हैं)	6 %
6.	4503 90 90 4504 90	कार्क के कलात्मक कार्य [जिसमें शोलोपिथ की वस्तुएं भी आती हैं]	6 %
7.	4601 और 4602	चटाईयां, वनास्पतिक पदार्थों की चटाईयां और पर्दे, टोकरी, विकर वर्क और अन्य वस्तुएं या अन्य प्लैटिंग सामग्री, लूफा की वस्तुएं (जिसमें बांस, रटन, केन्स और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल (जो कि प्राकृतिक रूप से सूखे हों), उनसे निर्मित वस्तुएं, रिंगल, रम्बान की वस्तुएं, शोला आइटम्स, कोना/च्युथांग (सरकंडा) क्राफ्टस, जल कुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट्स भी शामिल हैं	2.5 %
8.	4823	कागज मेश की वस्तुएं	2.5 %
9.	5607, 5609	कोयर की वस्तुएं	2.5 %

10.	5609 00 20, 5609 00 90	तोरण, दरवाजे की सज्जा जो कि कॉटन यार्न या ऊन वाले यार्न और आभला (दर्पण) से बने हो, चाहे इनमें लटकन लगी हो या नहीं	2.5%
11.	57	हस्तनिर्मित कालीन और अन्य हस्तनिर्मित टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग्स (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल है)	2.5 %
12.	5804 30 00	मानवनिर्मित लेस	2.5 %
13.	5805	हाथ से बुने कसीदे	2.5 %
14.	5808 10	हाथ से बने जूड़े और ऑरनामेंटल ट्रीमिंग, जो अलग-अलग हों	2.5 %
15.	5810	हस्तनिर्मित जरीकारी की वस्तुएं	2.5 %
16.	6117, 6214	हस्तनिर्मित हस्तजरीकारी वाली शॉल जिनका मूल्य 1000/- रुपए प्रति नग से ज्यादा न हो	2.5 %
17.	6117, 6214	हस्तनिर्मित हस्तजरीकारी वाली शॉल जिनका मूल्य 1000/- रुपए प्रति नग से अधिक हो	6 %
18.	6802	पत्थर के नक्काशी किए हुए (जैसे की मूर्ति, मूर्तियां, जानवरी के आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे, मोमबत्ती स्टैंड)	6 %
19.	6815 99 90	पत्थर से निर्मित कलात्मक वस्तुएं, स्टोन इनले वर्क	6 %
20.	6912 00 10	चीनी मिट्टी और टैराकोटा से बने टेबलवेयर और	6%
	6912 00 20	किचनवेयर, चीनी मिट्टी की अन्य वस्तुएं	
21.	6913 90 00	मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरामिक वस्तुएं (ब्लू पॉटरिज समेत)	6 %
22.	7009 92 00	ऑरनामेंटल फ्रेम दर्पण	6 %
23.	7018 10	चूड़ियां, मनके और अन्य छोटे-मोटे समान	2.5 %
24.	7018 90 10	कांच की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हों]	6 %
25.	7020 00 90	कांच की बनी कलात्मक वस्तुएं [जिनमें बर्तन, जार, वोटिव, कैस्क, केक कवर, ट्यूलिप बाटल, वेस भी आते हैं]	6 %
26.	7113 11 10	चांदी के महीन कार्य	1.5 %
27.	7117	हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिसमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, कार्डमम गारलैंड भी आते हैं)	1.5 %
28.	7326 90 99	लोहे की बनी कलात्मक वस्तुएं	6 %

29.	7419 99	कांसा, तांबा/तांबे की मिश्र धातु से बनी कलात्मक वस्तुएं जो कि निकिल/सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेटिड हो	6 %
30.	7616 99 90	एल्युमिनियम की बनी कलात्मक वस्तुएं	6 %
31.	8306	घंटियां, गॉगस जो कि नॉन इलेक्ट्रिक हों और बेस मेटल से बनी हों और अन्य आभूषण जो कि बेस मेटल से बने हों; फोटोग्राफ, चित्र या इसी प्रकार के फ्रेम जो कि बेस मेटल से बने हों; बेस मेटल से बने दर्पण (जिनमें बिदीवेयर, पंचलोगा की कलात्मक वस्तुएं, मूर्तियां, स्वामी मलाई कांसे की मूर्तियां, ढोकराजाली भी आते हैं)	6 %
32.	9405 10	हस्तनिर्मित लैम्प (जिसमें पंचलोगा लैम्प भी शामिल हैं)	6 %
33.	9401 50, 9403 80	बांस, रट्टन और केन के फर्नीचर	6 %
34.	9503	लकड़ी या धातु या कपड़े की सामग्री से बनी गुडिया या अन्य खिलौने [जिनमें सांवतवादी लकड़ी के खिलौने, चनापटना खिलौने, तंजावूर की गुडिया भी आती हैं]	6 %
35.	9504	गंजीफा कार्ड	6 %
36.	9601	हाथीदांत, अस्थि, कच्छुए की खोपड़ी, सींग, बारहसिंगा के सिंग, कोरल, मदर ऑफ पर्ल, सी शैल से बनी और अन्य जन्तु पदार्थ जडित वस्तुएं	6 %
37.	9602	लकड़ी या खनिज पदार्थ वाली नक्काशी युक्त वस्तुएं	6 %
		मोम की वस्तुएं, स्टेयरिन की वस्तुएं, प्राकृतिक गोंद और प्राकृतिक रेशिन की वस्तुएं, मॉडलिंग पेस्ट की वस्तुएं आदि (इनमें लॉक और शेलाक की वस्तुएं भी आती हैं)	
38.	9701	हैंड पेंटिंग, ड्राईंग और पेस्टल (जिनमें मैसूर पेंटिंग, सजस्थान पेंटिंग, तंजोर पेंटिंग, पाम-लीफ पेंटिंग, बसोली आदि आते हैं)	6 %
39.	9703	मूल मूर्तिकला और मूर्ति निर्माण कला, जो धातु, पत्थर और अन्य सामग्री से की जा रही हो	6 %

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2018

क्रमांक एफ-ए-3-23-2018-1-पांच(69).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-23-2018-1-पांच(69), दिनांक 27 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, dated 27 July, 2018

No. FA-3-23-2018-1-V(69)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-state supplies of handicraft goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as specified in the corresponding entry in column (2), from so much State tax leviable thereon under section 9 of the said Act as is in excess of the rate specified in column (4) of the said Table.

Explanation - For the purpose of this notification, the expression "handicraft goods" means - Goods predominantly made by hand even though some tools or machinery may also have been used in the process; such goods are graced with visual appeal in the nature of ornamentation or in-lay work or some similar work of a substantial nature; possess distinctive features, which can be aesthetic, artistic, ethnic or culturally attached and are amply different from mechanically produced goods of similar utility.

Table

S.No.	Chapter, Heading, Subheading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	Handcrafted candles	6 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90, 4202 32, 4202 39	Handbags including pouches and purses; jewellery box	6 %
3.	4416, 4421 99 90	Carved wood products, art ware/decorative articles of wood (including inlay work, casks, barrel, vats)	6 %
4.	4414 00 00	Wooden frames for painting, photographs, mirrors etc	6 %

5.	4420	Statuettes & other ornaments of wood, wood marquetry & inlaid, jewellery box, wood lathe and lacquer work [including lathe and lacquer work, ambadi sisal craft]	6 %
6.	4503 90 90 4504 90	Art ware of cork [including articles of sholapith]	6 %
7.	4601 and 4602	Mats, matting and screens of vegetable material, basketwork, wickerwork and other articles of vegetable materials or other plaiting material, articles of loofah (including of bamboo, rattan, canes and other natural fibres, dry flowers (naturally dried), articles thereof, ringal, raambaan article, shola items, Kouna/chumthang (water reeds) crafts, articles of Water hyacinth, korai mat]	2.5 %
8.	4823	Articles made of paper mache	2.5 %
9.	5607, 5609	Coir articles	2.5 %
10.	5609 00 20, 5609 00 90	Toran, Doorway Decoration made from cotton yarn or woollen yarn and aabhala (mirror) with or without hanging flaps	2.5 %
11.	57	Handmade carpets and other handmade textile floor coverings (including namda/gabba)	2.5 %
12.	5804 30 00	Handmade lace	2.5 %
13.	5805	Hand-woven tapestries	2.5 %
14.	5808 10	Hand-made braids and ornamental trimming in the piece	2.5 %
15.	5810	Hand embroidered articles	2.5 %
16.	6117, 6214	Handmade/hand embroidered shawls of sale value not exceeding Rs. 1000 per piece	2.5 %
17.	6117, 6214	Handmade/hand embroidered shawls of sale value exceeding Rs. 1000 per piece	6 %
18.	6802	Carved stone products (e.g., statues, statuettes, figures of animals, writing sets, ashtray, candle stand)	6 %
19.	6815 99 90	Stone art ware, stone inlay work	6 %
20.	6912 00 10 6912 00 20	Tableware and kitchenware of clay and terracotta, other clay articles	6 %
21.	6913 90 00	Statuettes & other ornamental ceramic articles (incl blue potteries)	6 %
22.	7009 92 00	Ornamental framed mirrors	6 %
23.	7018 10	Bangles, beads and small ware	2.5 %
24.	7018 90 10	Glass statues [other than those of crystal]	6 %
25.	7020 00 90	Glass art ware [incl. pots, jars, votive, cask, cake cover, tulip bottle, vase]	6 %
26.	7113 11 10	Silver filigree work	1.5 %
27.	7117	Handmade imitation jewellery (including natural seeds, beads jewelry, cardamom garland)	1.5 %
			6 %

28.	7326 90 99	Art ware of iron	6 %
29.	7419 99	Art ware of brass, copper/ copper alloys, electro plated with nickel/silver	6 %
30.	7616 99 90	Aluminium art ware	6 %
31.	8306	Bells, gongs and like, non-electric, of base metal; statuettes, and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; (including Bidriware, Panchloga artware, idol, Swamimalai bronze icons, dhokra jaali)	6 %
32.	9405 10	Handcrafted lamps (including panchloga lamp)	6 %
33.	9401 50, 9403 80	Furniture of bamboo, rattan and cane	6 %
34.	9503	Dolls or other toys made of wood or metal or textile material [incl wooden toys of sawantwadi, Channapatna toys, Thanjavur doll)	6 %
35.	9504	Ganjifa card	6 %
36.	9601	Worked articles of ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, coral, mother of pearl, seashell other animal carving material	6 %
37.	9602	Worked vegetable or mineral carving, articles thereof, articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes etc, (including articles of lac, shellac)	6 %
38.	9701	Hand paintings drawings and pastels (incl Mysore painting, Rajasthan painting, Tanjore painting, Palm leaf painting, basoli etc)	6 %
39.	9703	Original sculptures and statuary, in metal, stone or any other material	6 %

2. This notification shall come into force on the 27th July, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.